Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 9.134
Volume - 8, Issue - 10, October - 2025

DOIs:10.2018/SS/202510003 --:-- Research Paper / Article / Review

युवा और नशाखोरी -समस्या एवं चुनौतियाँ उत्तराखण्ड के सीमांत जनपदों के संदर्भ में

प्रियंका सिंह
सहायक प्राध्यापक, शिक्षाशास्त्र, स्कूल ऑफ एजुकेशन
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय(हल्द्वानी), नैनीताल
Email - priyankasingh@uou.ac.in

सारांश : उत्तराखंड राज्य के सीमांत जनपदों में युवाओं में बढ़ती नशाखोरी की समस्या एक गंभीर चुनौती बनकर उभरी है। यह शोध पत्र उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों विशेषकर पिथौरागढ़, चम्पावत, और ऊधमसिंह नगर जिलों में युवाओं के बीच नशीले पदार्थों एवं दवाओं के सेवन की वर्तमान स्थिति, कारण, प्रभाव और चुनौतियों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति राज्य में नशीली दवाओं के नियंत्रण के लिए एक बड़ी बाधा है। पिछले कुछ वर्षों से, राज्य के युवाओं, बच्चों और वयस्कों के बीच नशीली पदाथों और दवाओं के सेवन, व्यापार और नशीली दवाओं के दुरुपयोग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय है कि राज्य के कुछ क्षेत्र इस खतरे से बुरी तरह प्रभावित हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी, स्थानीय उत्पादन और कानून प्रवर्तन की चुनौतियाँ इस समस्या को और भी जटिल बना रही हैं।

मुख्य शब्द(Key Words): नशाखोरी, सीमांत जनपद, पारंपरिक नशा, सिंथेटिक ड्रग्स, युवा पीढ़ी, पुनर्वास केंद्र ।

1.प्रस्तावना (Introduction)

उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है जो धार्मिक,सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक दुनिया में एक विशेष स्थान रखता है। भगवान शिव,भगवान विष्णु और कई अन्य देवताओं का निवास होने के कारण, उत्तराखंड को "देव भूमि" के रूप में जाना जाता है। भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड की सीमा दो देशों से लगती है । इसके अलावा, उत्तराखंड अपनी सीमा का एक बड़ा हिस्सा सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के साथ साझा करता है। यह उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय के साथ-साथ राज्य की सीमाओं पर मादक पदार्थों की तस्करी के लिए एक पारगमन राज्य बनाता है। युवा,देश का वर्तमान एवं भविष्य है।वर्तमान में भारत के कुछ सीमावर्ती क्षेत्र बुरी तरह से नशे की समस्या से जूझ रहे है। यह बेहद जटिल और बहुआयामी मुद्दा है। हमारे युवा नशे की लत से ज्यादा शिकार हो रहें हैं। भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाले एक -तिहाई युवा नशीले पदार्थों का सेवन करते है,जिनमें से दो-तिहाई ने किशोरावस्था पूरी होने से पहले ही नशीले पदार्थों का सेवन शुरू कर दिया था। नशीले पदार्थों के सेवन की शुरुआत में परिवार और साथियों की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो-तिहाई नशा करने वालों के कम से कम एक अभिभावक (माता या पिता) भी नशीले पदार्थ का सेवन करते थे। विशेष रूप से 90% नशा करने वालों ने बताया कि इन पदार्थों से उनका परिचय दोस्तों ने करवाया था। चूँकि युवावस्था में कैरियर को लेकर एक किस्म का दबाव और तनाव रहता है। ऐसे में युवा इन समस्याओं से निपटने के लिए नशीली दवाओं का सहारा लेते है और अंततः समस्याओं के कुचक्र में फंस जाते है। इसके साथ ही युवा एक गलत पूर्व धारणा का भी शिकार होते हैं। उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर धुएँ के छल्ले उड़ाना और महँगी पार्टीज में शराब के सेवन करना उच्च सामाजिक स्थिति का प्रतीक भी जान पड़ता है।

उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों विशेषकर सीमावर्ती जिलों से लेकर मैदानी जिलों के युवाओं में ड्रग एवं नशा लेने की प्रवृत्ति बढती जा रही है। ड्रग सिंडिकेट के निशाने पर केवल युवा पीढ़ी है। यह जानते हुए भी नशा सेहत के लिए न सिर्फ खतरनाक है, बल्कि यह कॅरियर को भी बर्बाद कर देता है। इसके बाद भी युवा वर्ग नशे के दलदल में फंसते ही जा रहा है। स्कूल अन्य शैक्षिक,कालेज , संस्थान एवंविद्यार्थियों के रहने की जगहों के आसपास नशे के व्यापार के लिए हॉट - स्टॉप बनाते जा रहे है। जो एक गंभीर चिंता का विषय है ।

2.आखिर नशे की लत क्या है?

जब नशीली दवाओं का दुरुपयोग किसी व्यक्ति के सामान्य और पेशेवर जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करता है,तो उसे नशे की लत कहा जाता है। यह न सिर्फ नशेड़ी व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन लाता है,बल्कि उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहार में भी चिड़चिड़ापन ला देता है। सामान्य शब्दों में कहे तो एक नशेड़ी व्यक्ति अपने आसपास के समाज पर एक 'लहर प्रभाव' उत्पन्न करता है जिसके कारण शनै:-शनै: सामाजिक ताना बाना बिगड़ता जाता है। नशे की लत इतनी ज्यादा खतरनाक है कि कई बार लोग इसके अति सेवन से और न मिलने पर आत्महत्या तक कर डालते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार नशे की लत के कारण वर्ष 2021 में 10 हजार से अधिक लोगों ने अपने जीवन की लीला को समाप्त कर लिया। एनसीआरबी की रिपोर्ट में महाराष्ट्र पिछले कुछ सालों में लगातार इस मामले में सबसे ऊपर रहा है। इस राज्य में साल 2021 में 2,818 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश इस मामले में दूसरे स्थान पर है,जहां कुल 1,634 लोगों की मौत इस कारण हुई। कर्नाटक में जहां 2015 में 100 से कम मामले थे,वहां अधिक वृद्धि देखी गई है। अन्य तीन राज्यों में भी लगातार वृद्धि देखी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि नशा "अंतिम कारण" के रूप में काम कर सकता है, जबकि मानसिक स्थितियों, पारिवारिक समस्याओं और आर्थिक परेशानियों जैसे मुद्दे पीड़ितों को यह कदम उठाने की ओर धकेल सकते हैं।

नशे के कारण होने वाली मौतों की गंभीरता को समझते हुए केंद्र सरकार ने 1995 में ऐसी मौतों के आंकड़े को अलग करना शुरू किया था, जब नशे के कारण 745 आत्महत्याएं हुई थी। 2016 के बाद से नशे से प्रेरित आत्महत्याओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रत्येक वर्ष कम से कम 1,000 और मामले जुड़ते जा रहे हैं।

3.युवाओं में बढ़ती नशाखोरी एक गंभीर समस्या -

भारतीय संदर्भ में,राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015-16) के अनुसार, देश में लगभग 16 करोड़ लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, और 3.1 करोड़ लोग विभिन्न नशीले पदार्थों के आदी हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण प्रतिशत युवा वर्ग का है। वर्तमान समय में युवा अनेक प्रकार के नशे की लत में है | जो हमारे स्कूलों व कालेजों के आस पास आसानी से युवाओं को उपलब्ध हो रहा है |नशाखोरी के पदार्थों को दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है –

I. **पारंपरिक नशा:** इसमें तंबाकू, अफीम, सुल्फा, भांग और शराब आदि आते हैं।
II. **सिंथेटिक ड्रग्स:** इसमें स्मैक, हेरोइन, कोकीन, क्रेक कोकीन, नशीले ड्रग्स और इंजेंक्शन आते हैं। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) के प्रति भारत का दृष्टिकोण भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में निहित है जो यह आदेश देता है कि राज्य मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के औषधीय उद्देश्यों को छोड़कर उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। नशीली दवाओं की लत सभी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। मादक द्रव्यों का सेवन करने वालों में मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के दुष्प्रभाव देखे जाते हैं:
    a) अवसाद;
    b) हिंसक व्यवहार;
    c) श्वसन विफलता;
    d) स्मृति हानि;
    e) सामाजिक वापसी;
    f) स्कूल, काम, परिवार और दोस्तों में रुचि की कमी;
    g) मनोदशा में बदलाव;
    h) पेट दर्द और मतली;
    i) नींद विकार;
    j) दिल के दौरे का खतरा; और
    k) मृत्यु का खतरा।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के अनुसछोटे अपराधों , दुष्कर्म, हत्या, लूट, डकैती आदि तमाम तरह की वारदातों में नशे के सेवन का मामला लगभग 73 प्रतिशत तक है। दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में तो ये दर 87 प्रतिशत तक है। ग्लोबल एडल्ट टोबेको सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बहुत ही चौंकाने वाली है। युवा एवं बचपन किस तरह से नशे का शिकार हो रहा है, इसकी बानगी इन आंकड़ों से स्पष्ट झलकती है।

a) तंबाकू का सेवन करने वालों में खैनी का प्रयोग सबसे ज्यादा 13 प्रतिशत लोग करते हैं।
b) एक सिगरेट जिंदगी के नौ मिनट पी जाती है।
c) गुटखा या तंबाकू की एक पीक तीन मिनट जीवन को कम कर देती है।
d) हर सात सेकेंड में तंबाकू व अन्य मादक पदार्थों से एक मौत होती है।
e) नब्बे प्रतिशत फेफड़े का कैंसर व 25 प्रतिशत घातक रोगों का कारण धूम्रपान है।

4. उत्तराखण्ड के सीमावर्ती जिलों में नशे का बढ़ता कारोबार चिंता का विषय-

भारत की 10 फीसदी से अधिक आबादी अवसाद, न्यूरोसिस और मनोविकृति सहित मानसिक विकारों से पीड़ित है। इसके साथ ही प्रत्येक 100 में से 15 व्यक्ति नशीली पदार्थों एवं दवाओं का सेवन करते हैं। और प्रत्येक 100 में से 25 लोग क्रोनिक अर्थात स्थायी शराब सेवन के शिकार हैं। भारत में मनोरोग और नशा मुक्ति केन्द्रों में उपचार की उपलब्धता आवश्यक संख्या का केवल 20% है। इस प्रकार, देश भर में 80% मनोरोगी और नशा की समस्या से पीड़ित रोगियों को अस्पताल की सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पाती है।

उत्तराखण्ड के सीमावर्ती जिलों में नशे का बढ़ता कारोबार चिंता का विषय बनता जा रहा है । वर्ष 2022 में 1 जनवरी से 28 दिसंबर तक आबकारी अधिनियम के तहत अवैध शराब धरपकड़ के मामलों में कुल 4612 मुकदमे दर्ज हुए। 4912 शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए और लगभग 203509 बोतल शराब पकड़ी गई, जिनकी अनुमानित कीमत 7 करोड़ 84 लाख 72 हजार 944 रुपए आंकी गई. साल 2022 में अवैध शराब तस्करी मैं इस्तेमाल होने वाले 290 कार और जीप सीज किए गए, जबकि 22 ट्रक 434 दुपहिया वाहन और 23 थ्रीव्हीलर वाहन सीज किए गए।

वर्ष 2022 में स्मैक, चरस नशीली गोलियां, कैप्सूल, इंजेक्शन, गांजा, हेरोइन, अफीम, ब्राउन शुगर जैसे मादक पदार्थों तस्करी में देहरादून जनपद सबसे आगे रहा. यहां मादक पदार्थ तस्करी मामले में 1 जनवरी से 28 दिसंबर 2022 तक NDPS एक्ट के तहत 491 मामले पंजीकृत किए गए. जबकि 506 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. वहीं, देहरादून में 2022 सालभर नशा तस्करों की धरपकड़ के दौरान गई तकरीबन 4 करोड़ 30 लाख 27 हजार 270 रुपये कीमत के अवैध मादक पदार्थ बरामद की गई है. नैनीताल जनपद में सबसे अधिक कीमत की मादक पदार्थ बरामद की गई । नैनीताल में 192 मुकदमे दर्ज, 258 नशा तस्कर गिरफ्तार, 5 करोड़ 50 लाख 86 हजार 190 रुपए कीमत के मादक पदार्थ बरामद किये गए हैं। उत्तराखंड में युवाओं के बीच नशीले पदार्थों के सेवन पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि यह समस्या तेजी से बढ़ रही है। देहरादून जिले में किए गए एक समुदायिक सर्वेक्षण में 10-24 वर्ष की आयु के युवाओं में मादक द्रव्य सेवन की दर डोईवाला ब्लॉक में 13.02% और सहसपुर में 8.14% पाई गई। डॉसेमवाल और उनके सहयोगियों के अध्ययन के अनुसार .,तम्बाकू (डोईवाला में 9.3%, सहसपुर में 5.5%) और अल्कोहल(डोईवाला में 4.6%, सहसपुर में 3.0%) सबसे अधिक सेवन किए जाने वाले पदार्थ हैं। अफीम और इसके व्युत्पन्न पदार्थों का सेवन भी चिंताजनक स्तर पर है ।

5. नशे के बढ़ते कारोबार को रोकने के लिए भारत सरकार द्धारा प्रयास

नशे की समस्या से निपटने के लिए किये जाने वाले सरकारी प्रयासों की बात की जाए तो सरकार इस दिशा में काफी कुछ कर रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,भारत सरकार के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नशीली दवाओं की मांग में कमी को सुनिश्चित करने हेतु नोडल विभाग है। अगस्त 2020 में नशे की समस्या से निपटने हेतु इसी मंत्रालय के द्वारा भारत के सबसे संवेदनशील 272 जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरूआत भी की गई। इसके साथ ही भारत सरकार नशे के आदी लोगों के लिए नशा मुक्ति केंद्र और पुनर्वास सुविधाएं भी मुहैया करा रही है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय देश में मादक पदार्थों के उन्मूलन हेतु एक रणनीतिक प्रयास कर रहा है। विगत तीन वर्षों में सरकार ने देश के कई राज्यों में 89000 फुटबॉल मैदान के आकार के भाँग और अफीम उत्पादक क्षेत्रों को नष्ट कर दिया है। सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को "मादक पदार्थ मुक्त" बनाना है।

इसके साथ ही सरकार ने कुछ विधायी उपाय भी किये है। सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट,1940 जैसे विभिन्न कानून बनाए हैं। अन्य कानून नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985 और अवैध व्यापार की रोकथाम में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट,1988 आदि हैं। यह कानून दवाओं के निर्माण, वितरण, कब्ज़े और खपत को विनियमित और प्रतिबंधित करते हैं। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985 अधिनियम में नशीली दवाओं के अपराधों के लिये कड़े दंड का प्रावधान है। संस्थागत उपायों के अंतर्गत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI), सीमा शुल्क विभाग आदि जैसे संस्थान बनाए हैं। ये संस्थान ड्रग कानूनों को लागू करते हैं तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करते हैं।यदि निवारक उपायों की बात की जाए तो सरकार ने नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना, नशा मुक्त भारत अभियान आदि जैसी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की है। नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना का उद्देश्य जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, नशा मुक्ति और पुनर्वास के माध्यम से नशीली दवाओं की मांग को कम करना है। नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य स्कूली बच्चों में नशीली दवाओं के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसके साथ ही सरकार ने निदान और एनसीओआरडी (NCORD) नामक पोर्टल की शुरूआत की है। यह एक डेटाबेस है जिसमें NDPS अधिनियम के तहत गिरफ्तार किये गए सभी संदिग्धों और दोषियों की तस्वीरें, उंगलियों के निशान, अदालती आदेश, जानकारी एवं विवरण शामिल हैं, जिसे राज्य तथा केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है।

6. उत्तराखण्ड सरकार द्धारा किये जा रहें प्रयास

उत्तराखण्ड राज्य में नशाखोरी (Drug Abuse) को रोकने और राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार, पुलिस और समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे है।राज्य सरकार ने 2025 तक उत्तराखण्ड को 'ड्रग्स फ्री देवभूमि' बनाने का लक्ष्य रखा है। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन-2025' के तहत संस्थागत कार्रवाई, प्रवर्तन (Enforcement), और जागरूकता (Awareness) तीनों स्तरों पर काम हो रहा है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) का गठन किया गया है, जो मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध व्यापार में लगे अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई कर रही है।नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों को जब्त/सीज करने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे उनके वित्तीय नेटवर्क को तोड़ा जा सके।नकली और मानकविरुद्ध दवाओं पर लगाम लगाने के लिए 'ऑपरेशन क्लीन' शुरू किया गया है। एनडीपीएस (NDPS) अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और आरोपितों की गिरफ्तारी की जा रही है।मेडिकल स्टोर्स से मिलने वाली नशीली दवाओं पर नियंत्रण के लिए ड्रग इंस्पेक्टर्स के साथ मिलकर समय-समय पर कार्रवाई की जा जन-जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनमें महिला मंगल दल, युवा मंगल दल, और उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया जा रहा है।

युवाओं और बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं।शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम में नशे के दुष्प्रभाव से संबंधित अध्याय शामिल करने का सुझाव दिया गया है।नशे के विरुद्ध लड़ने की शपथ दिलाई जा रही राज्य में सरकारी पुनर्वास केंद्र (Rehabilitation Centre) बनाने का प्रावधान है।निजी नशामुक्ति केंद्रों की निगरानी के लिए सख्त दिशा-निर्देश बनाए जा रहे हैं, और अपंजीकृत तथा मानकों से कमतर केंद्रों को सील करने का फैसला लिया गया है।नशे की गिरफ्त में फंसे लोगों की काउंसलिंग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है।कारागारों और विद्यालयों में काउंसलरों की नियुक्ति की गई है।ड्रग उन्मूलन नियमावली बनाई जा रही है ताकि पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, नारकोटिक्स विभाग, शिक्षा और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके।

"ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन-2025" उत्तराखंड सरकार द्धारा 'नशा मुक्त देवभूमि' करने का लक्ष्य रखा है. जिसके तहत प्रदेश भर में नशा मुक्त कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. इस मिशन के तहत उत्तराखंड पुलिस का विशेष कार्य बल (STF), शिक्षा विभाग, राज्य मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों को नशे के खिलाफ जागरूक कार्यक्रम चलाये जा रहे है। साथ ही इसके दुष्परिणाम की जानकारी भी दी गई. दरअसल, मुख्य रूप से कार्यक्रम के दौरान युवाओं को इस वजह से भी शामिल किया गया क्योंकि इस उम्र में युवा, नशे की प्रवृत्ति की ओर न जाएं. साथ ही अपने घर में परिजनों को भी नशे के खिलाफ जागरूक करें. हालांकि, प्रदेश में नशा तेजी से फलफूल रहा है. यही वजह है कि सरकार देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त करने की दिशा में लोगों को जागरूक कर रही है.

7. सुझाव

उत्तराखंड सरकार नशे की समस्या से निपटने के लिए एक समग्र की शुरुआत कर "उत्तराखंड युवा नशा मुक्ति मिशन"ने की आवश्कता है जिसमें निम्नलिखित विन्दु शामिल हों:-

i. **बहु-विभागीय समन्वय-** स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, और सामाजिक कल्याण विभागों का एकीकृत दृष्टिकोण।
ii. **सामुदायिक भागीदारी-** स्थानीय समुदाय, धार्मिक संस्थानों, और गैर-सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी।
iii. **तकनीकी हस्तक्षेप-**आधुनिक तकनीक का उपयोग करके निगरानी, उपचार, और जागरूकता में सुधार।
iv. **निरंतर मॉनिटरिंग-** नियमित सर्वेक्षण और मूल्यांकन के माध्यम से कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की जांच।

8. निष्कर्ष

उत्तराखंड के सीमांत जनपदों में युवाओं के बीच बढ़ती नशाखोरी की समस्या एक बहुआयामी चुनौती है। जिसके लिए समग्र और बहु स्तरीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यह समस्या न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करती-आर्थिक ढांचे को नुकसान पहुंचाती है।-है बल्कि पूरे सामाजिकयुवाओं नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए उत्तराखंड के लिए गंभीर चुनौतियां हैं। सबसे पहले इस दिशा में पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी है। नशीली दवाओं की तस्करी और प्रभावी दुरुपयोग के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों, विशेष उपकरणों और सही इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इसके अलावा, उत्तराखंड में नए साइकोएक्टिव पदार्थों का उपयोग बढ़ रहा है और ये दवाएं अक्सर वर्तमान दवा नियंत्रण कानूनों के भीतर नहीं आती हैं। इस कारण से, पुलिस बलों के लिए उन्हें प्रभावी ढंग से विनियमित करना जटिल है।

नशा की समस्याओं से निपटने के लिए, सरकार को मौजूदा कानूनों के प्रावधानों को मजबूत करना होगा। इसके अलावा अफीम एवं नशे की खेती में अवैध रूप से संलग्न किसानों के लिए एक वैकल्पिक फसल कार्यक्रम की भी शुरूवात करनी होगी । जिस प्रकार से झारखंड राज्य द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम जो कि अवैध अफीम की खेती में लगे किसानों के लिए शुरू किया गया है। वास्तव में उल्लेखनीय है। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समन्वय को मजबूत करने की दिशा में ठोस उपाय किए जाने चाहिए। सूचना के आदान प्रदान- के लिए, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से साझेदारी को मजबूत करना होगा। साथ ही नई

तकनीकों के माध्यम से ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क की पहचान करना और उसके नेटवर्कको समाप्त करना चाहिए, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी में लगे लोगों तथा उनकी गतिविधियों की पहचान करना। इसके अलावा, एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित की जानी चाहिए जिसमें नशीली दवाओं के दुरुपयोग और गतिविधियों की तस्करी पर वास्तविक समय में रिपोर्ट कर सकते हैं।

संदर्भ सूची :

1. सेमवाल, जे., एट अल. (2025). "देहरादून जिले के उपनगरीय क्षेत्रों में किशोरों और युवाओं (10-24 वर्ष) के बीच मादक द्रव्यों का सेवन: व्यापकता और जोखिम मूल्यांकन।" जर्नल ऑफ फैमिली मेडिसिन एंड प्राइमरी केयर, खंड 14, संख्या 3, पृष्ठ 954-962।
2. जहीन, एन. रॉय, डी., सिन्हा, आर., एट अल. (2023)."देहरादून जिले के डी-एडिक्शन और पुनर्वास केंद्रों के इन-फैसिलिटी क्लाइंट्स के बीच मादक द्रव्य सेवन के महामारी विज्ञान संबंधी सहसंबंध: एक क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन।"क्यूरियस, खंड 15, पृष्ठ 428-26।
3.सिंह, पी. और राठी, एच. (2020). "उत्तराखंड के गढ़वाल पहाड़ियों में एक शिक्षण अस्पताल में उपचार मांगने वाले मादक द्रव्य सेवन करने वाले व्यक्तियों की नैदानिक और सामाजिक-जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल।" इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंसेज।
4. धवन, ए., पट्टनायक, आर.डी., चोपड़ा, ए., एट अल. (2016). "भारत में बच्चों और किशोरों के बीच इंजेक्शन ड्रग का उपयोग: अलार्म बेल बजाना।" इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री, खंड 58, संख्या 4, पृष्ठ 387-393।
5.सेठी, एन. (2025). "उत्तराखंड की सबसे बड़ी एक्स्टसी पकड़: मुख्य तस्कर गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में MDMA जब्त।" द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, 16 जुलाई 2025।

Web References

1. https://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttarakhand/dehradun/dhami-aims-to-make-uttarakhand-drug-free-by-2025/article show/93214323.cms
2. https://www.etvbharat.com/hi/!state/heroin-drug-smugglers-in-pithoragarh-half-dozen-people-arrested-in-6-months-uttarakhand-news-uts25082502697
3. https://www.jagran.com/uttarakhand/dehradun-city-intoxication-harm-the-youths-career-in-uttarakhand-19348851.html
4. https://www.youthkiawaaz.com/
5. https://ncsl.niepa.ac.in/sla/module-2022-23/uttarakhand/module-4.pdf DEBATE: देवभूमि बना नशा तस्करों का नया ठिकाना, नशे की गिरफ्त में उत्तराखंड के युवा
6. https://www.thehindu.com/news/national/uttarakhand/